FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा

मुकेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा बनाम पूरणमल उर्फ पूरण पुत्र स्व. भंवरलाल पाराशर

किस्म मुकदमा धारा:–212 राज.का.अधि. प्रकरण संख्या 168/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2025	प्रार्थना पत्र बाद जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश जी शर्मा की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 32 में अंकित खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7203 हैक्टेयर भूमि कुल खसरे 01 क्षेत्रफल 0.7203 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र 1/7 हिस्से का खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। विपक्षीयों द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जाती है। विपक्षीगण कभी भी प्रार्थी को बेदखल कर सकते हैं। विपक्षी भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय/हस्तान्तरण कर सकता है, जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सुरक्षित काश्त करने व विपक्षीगण द्वारा बेदखल करने के प्रयास को रोकने के लिए विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि मामला प्रथम दृष्ट्या प्राथी के पक्ष का बनता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां भू.अ.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 32 में अंकित खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7203 हैक्टैयर भूमि में विपक्षीगण कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करें प्रार्थी को बेदखल नहीं करें वादग्रस्त भूमि ग्राम माहुपुर स्थित प्रार्थी को जबरन बेदखल कर अवैध कब्जा नहीं करें। भूमि को किसी अन्य को विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करें एवं उक्त वादग्रस्त भूमि के कृषी स्वरूप का न बिगाड़े। प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काबिज रहने दे काश्त करने देवें। ना ही किसी अन्य से प्रार्थी की भूमि में दखल अंदजी करवाऐं। मौके व रिकॉर्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाऐं रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश विपक्षीगण के विरूद्ध **अग्रिम आदेश** तक जारी किया जाता है। पत्रावल वास्ते तलबी/जवाब हेतु नियत दिनांक 21/07/2025 को पेश हो। (अजीत सिंह राठौड़) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा

........मुकुंदा........ बनाम ....पूरणमल........

किस्म मुकदमा धारा ....212 RTA........ प्रकरण संख्या 168/25

GCMS नम्बर:- 2025/195

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब/अधि. पत्र (1) आगामी दिनांक 28/7/25 को पेश हो।	U.T. दि. ... M S. ... 21
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/8/25 को वास्ते जवाब/अधि. (1) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
25/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब/अधिकार पत्र (1) आगामी दिनांक 8/9/25 को पेश हो।	
8/9/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब/अधिकार पत्र (1) आगामी दिनांक 29/9/25 को पेश हो।	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 13/10/25 को वास्ते जवाब/अधि पत्र (1) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
13/10/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब/अधिकार पत्र (1) आगामी दिनांक 27/10/25 को पेश हो।	

27/10/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 10/11/25 को वास्ते जवाब (1) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 24/11/25 को वास्ते जवाब (1) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
24/11/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 8/12/2025 को वास्ते जवाब (1) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
8/12/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 5/1/26 को वास्ते 5/1/2026 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
12/12/25	पत्रावली दिनांक 5/1/26 को नियत थी, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहा, जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली में दिनांक 18/6/25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करते हुए, पत्रावली को विड्रो (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	उक्त ... को ... करने ... अनुमति प्रदान

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा (seal)